न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2018

भारत भूषण शर्मा पुत्र शकंर लाल शर्मा निवासी 2/67 आर.एच.बी. कॉलोनी नियर न्यू बस स्टेण्ड टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 14.02.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2017 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

विजय भूषण शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा की दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर आराधना शर्मा ने अपनें नाबालिक पुत्र मानस व पुत्री काव्या के लिए सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50000 रूपये की सहायता के लिये आवेदन दिनांक 03.05.2017 कमांक 500 है लगाया था,इस संबंध मे निम्न सूचना चाही है।

1- उक्त सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता कब तक मिलेगी या नही मिलगी यदि नही मिलेगी तो क्यो नही मिलेगी। राज0 मे मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन पात्र है अर्थात दुर्घटना मे मृत्यु उपरान्त जिन व्यवक्तियो को सहायता मिलती है। उसके नियम की विस्तृत कॉपी हिन्दी संस्करण मे भेजे। साथ मे यह बताये मृतक विजय भूषण शर्मा के माता पिता व दोनो बच्चे मृतक विजय भूषण पर आश्रित है या नही। बच्चो के सर्वोहित के लिए सहायता राशि शीघ्र मिले। अतः इस संबंध मे सभी नियम उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 210 दिनांक 29.01.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 337 दिनांक 30.01.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 338 दिनांक 30.01.2018 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक